# फर्द अहकाम

राजेन्द्र बनाम [illegible]

नाम न्यायालय अपील [illegible] [illegible]

केस संख्या 18/2023

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
| --- | --- | --- | --- |
| | 12/3/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली अवलोकनार्थ हेतु दिनांक 14/3/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ | |
| | 14/3/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० 2 अनु०। अप्रार्थी सं० 2 को बार-बार आवाज लगाई गई लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 25/4/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ | मेड़ा [illegible] |
| | 25/4/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 2/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ | |
| | 2/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली आदेश में विचाराधीन थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस श्रवण किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] धारा 131,132,136 | |

# फर्द अहकाम

रामेश्वरी बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 18/2023

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
| --- | --- | --- |
| | | प्र० आज पेश को प्रस्तुत किया गया है। जिसको नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जावे। नियमानुसार नोटिस जारी किया जावे।<br><br>पत्रावली कोर्ट में आज पेश होकर ... पेश होकर ... पेश हो।<br><br>उप ... धिकारी<br>जमवारामगढ़ |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
## पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
18/2023

तारीख दायर
22/03/2023

तारीख फैसला
.02.05.2024

1. रमेश पुत्र नानगराम
2. रामफूल पुत्र नानगराम
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र करमसी पौत नानगराम
4. छोटूराम पुत्र करमसी पौत नानगराम
5. शान्ति देवी पत्नि करमती पुत्रवधु नानगराम
6. बबूलाल दत्तक पुत्र बालू
7. भागचन्द पुत्र जयनारायण

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मंहगी, तहसील आंधी जिला जयपुर, राजस्थान।

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान ।
2. जगदीश पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी ग्राम मंहगी तहसील आंधी जिला जयपुर राजस्थान।
3. जरिये शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सामरेड कलां।

**अप्रार्थीगण**

**उपस्थित अभिभाषक**

श्री किशन लाल – वकील प्रार्थीगण

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एल0आर0 एक्ट**
**बाबत् नक्शा दुरूस्ती**

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री किशनलाल के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसके पूर्व 884, 885, 900, 901, 902, 898, 895, 896, 847, 904/1, 905/1मिन, 899 एकीकरण के समय बने खसरा नम्बर 258 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 344 रकबा 1.4800है0 ग्राम मंहगी पटवार हल्का मंहगी तहसील आंधी में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण पूर्व राजस्व नक्शें अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा अप्रार्थी सं0 2 की भूमि एकीकरण पूर्व खसरा नम्बर 950, 951, 952, 953, 955, 959, 947, 948, 903, 902मी., 957 के नवीन खसरा नम्बर 271 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा कायम किये गये जिनका हाल खसरा नमबर 362 रकबा 2.0300है0 है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज मांग्या वल्द धन्ना उनके बाद प्रार्थीगण द्वारा रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 1.4800है0 पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा खसरा नम्बर 258 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा प्रार्थीगण का जमाबन्दी के मुताबिक नक्शा को 0.88है0 का कायम किया गया एवं अर्थात 0.60है0 के लगभग नक्शें को कम कायम किया गया एवं अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 271 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नं0 362 2.0300है0 की जमाबन्दी के मुताबिक नक्शें को अधिक बडा बनाकर अप्रार्थी सं0 2 का कायम किया गया जो कि गलत है।

उप खण्ड अधि

जिसमें प्रार्थीगणों की भूमि को अप्रार्थीगणों की भूमि खसरा नम्बर 271 व नवीन खसरा नम्बर 362 के नक्शें में शामिल कर बडा कायम कर दिया गया जबकि उक्त भूमियो पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है तथा एकीकरण पूर्व नक्शे अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से पर काश्त करते है तथा वर्तमान में भी काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण पूर्व नक्शें अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 258 व कुछ भाग खसरा नम्बर 271 का नक्शा पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा पूर्व नक्शें अनुसार ही काश्त करते आ रहे है लेकिन नवीन नक्शें के अनुसार भूमि की नाप झोक करने पर मौके पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 258 के हाल खसरा नम्बर 344 में करीबन 0.60है0 भूमि कम पडती है। जबकि राजस्व जमाबन्दी में रकबा पूर्ण दर्ज है। जिस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। पूर्व खसरा नम्बर 258 के हाल खसरा नम्बर 344 के राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा वर्तमान राजस्व नक्शा जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 258 व नवीन खसरा नम्बर 344 का छोटा करके कायम किया गया है। जिसके मौके पर भूमियों की नाप झोक करने पर भूमि लगभग 0.60है0 कम पडती है। राजस्व जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार रकबा सही नही बैठता है जिसके कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को रोज रोज हेरान परेशान करते है तथा भूमियों पर कब्जा करना चाहते है तथा अप्रार्थी सं0 2 गलत नक्शें का फायदा उठाकर भूमियों को खुर्द बुर्द करना चाहता है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 271 जिसके हाल खसरा नम्बर 362 रकबा 2.0300है0 जिसका रकबा जमाबन्दी रकबा के मुताबिक नक्शा अधिक बडा कर कायम किया गया जिसको कम करते हुये एवं प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 258 के हाल खसरा नम्बर 344 रकबा 1.4800है0 को नक्शें में जो कि लगभग 0.60है0 कम है जिसको जमाबन्दी अनुसार नक्शा को दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी रजिस्टर्ड डाक से जारी की गई। दिनांक 14.03.24 तक अप्रार्थी सं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः दिनांक 14.03.24 को अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/ आर.टी./2023/593 दिनांक 13.06.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी के ग्राम मंहगी के खसरा नम्बर 344 रकबा 1.48है0 किस्म चाही–ए जमाबन्दी अनुसार खातेदारान के नाम राज़स्व रिकार्ड दर्ज है। मुताबिक भू प्रबंध मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 344 के साबिक खसरा नम्बर 258 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा रहे है। साबिक मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण खसरा नम्बर 258 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा के पूर्व खसरा नम्बर 900 रकबा 4 बिस्वा, 901 रकबा 4 बिस्वा, 902मिन रकबा 2 बिस्वा, 884 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 885 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 898 रकबा 17 बिस्वा, 896 रकबा 8 बिस्वा, 847 रकबा 16 बिस्वा, 904/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 905/मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 899 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार रहे है। हाल राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 344 से लगवा खसरा नम्बर 362 रकबा 2.03है0 स्थित है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण खसरा नम्बर 271 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा के पूर्व खसरा नम्बर 950/0=5, 951/=16, 952/0=8, 953/1=05, 955/0=3, 956/1=08, 959/0=4, 947/0=5, 948/0=5, 903/2=15, 902/0=3, 957/0=4 कुल किंता 12 रकबा 8 बिघा 01 बिस्वा संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार रहे है। हाल राजस्व नक्शें मे खसरा नम्बर 344 की रकबा बरारी करने पर राजस्व रिकार्ड दर्ज रकबे से 0.45है0 कम प्राप्त होता है जब कि खसरा नम्बर 362 की रकबा बरारी करने पर उतना ही रकबा अधिक प्राप्त होता है। एकीकरण पूर्व के खसरा नम्बर 885/0=11, 884/0=19 को खसरा नम्बर 344 (साबिक 258) के बजाय खसरा नम्बर 362 (साबिक खसरा नम्बर 271) मे शामिल कर दिया गया है, जो सहवन से प्रतीत होता है। हाल खसरा नम्बर 344 के खातेदार पूर्व नक्शानुसार कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 344 के खातेदार पूर्व नक्शानुसार कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 344 का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम है। मुताबिक एकीकरण पूर्व नक्शा व कब्जा अनुसार हाल नक्शें में खसरा नम्बर 344 की तरमीम दुरूस्त किए जाने योग्य प्रतीत होती है। मुताबिक एकीकरण पूर्व नक्शा व पूर्व नक्शा अनुसार प्रार्थीयान के कब्जे काश्त व जमाबन्दी रकबे के अनुसार हाल नक्शें के खसरा नम्बर 344

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। वकील प्रार्थी ने दिनाक 25.04.24 को अपनी लिखित बहस पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी स0 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 2.0300है0 (साबिक खसरा नम्बर 271) जिसका रकबा जमाबन्दी के मुताबिक नक्शा को 0.45है0 कम किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 1.4800है0 (साबिक खसरा नम्बर 258) का रकबा जमाबन्दी रकबा के मुताबिक नक्शा को 0.45है0 रकबा बरारी/दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम मंहगी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 258 के हाल खसरा नम्बर 344 रकबा 1.4800है0 को नक्शें में जो कि लगभग 0.45है0 कम है जिसको जमाबन्दी अनुसार रकबा बरारी कर नक्शा को दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शें में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़